न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

तारीख रजू :- 28.4.22

मुकदमा नं0 84 /2022

दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2022/159

उनवान

सियाराम पुत्र नत्थीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी झण्डु का पुरा हिण्डौन सिटी जिला करौली(राज0)

—वादीगण—02

बनाम

बृजमोहन पुत्र नत्थीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी झण्डु का पुरा हिण्डौन सिटी जिला करौली(राज0)

—प्रतिवादीगण—06

फर्द अहकाम

दिनांक	
28.4.22	यह दावा वादी की ओर से श्री संतोष कुमार मुदगल एडवोकेट के जरिए पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 23.05.2022 को पेश हो। (अनुप सिंह) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली
23.5.22	वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी [illegible] पत्रावली है। अतःकुमार दिनांक 22.7.22 को पेश हो।
22.7.22	पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी वकील उप० वादी व वादी वकील प्रस्तुत आज वकील [illegible] वादी व वादी वकील उपस्थित है। वादी व वादी वकील उपस्थित है वादी व वादी वकील उपस्थित नोटिस से स्थगित करना चाहता है। वादी वकील उपस्थित नोटिस से स्थगित करना चाहता है। अतः मु० नं० 84/22 दावा सियाराम बनाम बृजमोहन नोटिस से स्थगित किया जाता है। पत्रावली [illegible] होकर नम्बर से कम थी।

वाद-पत्र की नकल का [illegible] है

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)